



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक-07.03.2023

थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 48/23 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मृतका का एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.02.2023 को थाना रमाला पर वादी अंकित पुत्र रोशन निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी पत्नी की चोट पहुँचाकर व गला घोटकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 48/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।



उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त प्रवेश पुत्र किरनपाल निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 48/23 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त प्रवेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से मृतका का एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवेश पुत्र किरनपाल निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह मृतका को करीब पाँच वर्ष से जानता था। फोन पर उसकी मृतका से निरन्तर बात होती रहती थी। करीब 04 माह पहले उसने मृतका को 25000 रुपये उधार दिए थे। दिनांक 06.03.2023 को सुबह करीब 08.30 बजे मैं अपने उधार के रुपये मांगने के लिए ग्राम बूढपुर आया था। इसी दौरान मेरा मृतका से झगड़ा हो गया। उधार के रुपये वापस न देने के कारण मैंने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी तथा शव को गन्ने के खेत में छुपाकर फरार हो गया था।

बरामदगी का विवरण-

- मृतका का एक मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह थाना रमाला।
- 2-निरीक्षक श्री देवेश कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल।
- 3-उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना रमाला।
- 4-का0 अनुज कुमार सर्विलांस सैल।
- 5-का0 जोनशन सर्विलांस सैल।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 218/2023 धारा 302/504/506 भादवि से संबंधित हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 ईंट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.03.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी आदेश पुत्र श्री नरेन्द्र निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि विक्की पुत्र संजय निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत ने उसके पिता नरेन्द्र के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा नुकीले हथियार से वार कर उसके पिता की हत्या कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 218/2023 धारा 302/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 218/2023 धारा 302/504/506 भादवि से संबंधित हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 ईंटें बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास उर्फ विक्की पुत्र संजय निवसी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं मृतक नरेश की जरनल स्टोर की दुकान से कुछ सामान उधार ले आता था । जिसके कुछ रूपये मुझपर उधार हो गये थे । शाम के समय मैं जब मृतक नरेन्द्र की दुकान पर गया तो उसने अपने उधार के रूपये मांगे और पब्लिक के सामने जलील करने लगा । इसी कारण मैंने दुकान के सामने पड़ी हुई 02 ईंटे उठाकर बारी-बारी से नरेन्द्र के सिर पर मार दी । ईंट लगने से वह घायल होकर गिर गया । मैं मौके से भाग गया ।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 02 ईंट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार, कोतवाली बागपत ।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान, कोतवाली बागपत ।
3. का0 25 राजीव कुमार, कोतवाली बागपत ।
4. का0 60 संदीप कुमार, कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 210/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 01 शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 मो०सा० व 03 मो०सा० के कटे हुए पार्ट तथा मो०सा० काटने के उपकरण आदि बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.03.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी राशिद पुत्र सुभराती निवासी निरोजपुर रोड करबा बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 03.03.2023 की रात्रि में उसके घर के बाहर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल न० UP12Y 8013 को किसी



अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 210/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 210/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 01 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 मो०सा०, 03 मो०सा० के कटे हुए पार्ट, 40 हार्न तथा मो०सा० काटने के उपकरण बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कय्यूम पुत्र मंजूर निवासी मौ० मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण –

- 03 मो०सा० के कटे हुए पार्ट (एक मो०सा० संबंधित मु०अ०सं० 210/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
- मोटरसाइकिल के 40 होर्न ।
- 01 मोटरसाइकिल प्लेटीना न० HR39D 1572 (संबंधित मु०अ०सं० 24502/22 E-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रान्च दिल्ली)
- 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्लस बिना न० प्लेट ।
- मोटरसाइकिल काटने के उपकरण ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 508 मंजीत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 506 विकाश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का० 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का० 25 राजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-का० 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 07-03-2023

**थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार
जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब बरामद ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अनुज पुत्र सतपाल निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह नादर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-है0का0 428 मनोज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-का0 418 परमजीत थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 07.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 49/22 धारा 323/504/308/354ख/506
भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 49/22 धारा 323/504/308/354ख/506



भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आशु उर्फ आस मौ० पुत्र यामीन निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-गुलफाम पुत्र यामीन निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री मनीष कुमार थाना रमाला ।

2-उ०नि० श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला ।

3-का० 180 चक्रपाल थाना रमाला ।